संख्या–2243/पांच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांकः 23 अक्टूबर, 2020

विषय–माह अक्टूबर से दिसम्बर तक प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर त्यौहारों/सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थानों में कोविड प्रोटोकाल/मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किए जाने के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में माह अक्टूबर से दिसम्बर तक त्यौहारों का समय होता है, जिसमें स्थान विशेष पर लोग पूजा–अर्चना, मेला तथा सांस्कृतिक आयोजनों इत्यादि के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसे आयोजनों में कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

2– इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु एपिडेमिक एक्ट–1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड–19) विनियमावली, 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किए जाने हेतु चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय आदेश/विज्ञप्ति संख्या–805/पांच–5–2020 दिनांक 08.04.2020 द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। चिकित्सा अनुभाग–5 की कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति संख्या–851/पांच–5–2020, दिनांक 17.04.2020 द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू एवं उसके उत्पादों, पान–मसाला, पान, सुपाड़ी इत्यादि चबाने एवं थूकने को प्रतिबन्धित किया गया है। इन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उ0प्र0 महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 में जुर्माना/दण्ड के कड़े प्राविधान किए गए हैं।

3– अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह अक्टूबर से दिसम्बर तक प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले त्यौहारों एवं सांस्कृतिक/सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

1. त्यौहारों एवं सांस्कृतिक/सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेसिंग तथा प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किए जाने से सम्बन्धित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आयोजनों में अनुमन्य सीमा से अधिक व्यक्ति सम्मिलित न हों।
2. इस दौरान आयोजन स्थलों एवं अन्य स्थानों पर कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु बरती जाने वाली सावधानियों (क्या करें, क्या न करें) का व्यापक प्रचार–प्रसार लॉउडस्पीकर इत्यादि के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए जनसामान्य को जागरूक

किया जाए। बुजुर्गों, कोमार्बिड तथा लक्षणयुक्त व्यक्तियों को ऐसे आयोजनों में सम्मिलित न होने का परामर्श दिया जाए।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से कन्टेनमेन्ट जोन में आयोजित न हों।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि कन्टेनमेन्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों/आयोजनों में सम्मिलित न हों और वह इन त्यौहारों को अपने घर पर ही मनाएं।
5. इस प्रकार के सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों/आयोजनों की सी0सी0टी0वी0 वीडियोग्राफी/के माध्यम से रिकार्डिंग करायी जाए तथा इनकी फुटेज को जिला प्रशासन द्वारा न्यूनतम एक माह तक सुरक्षित रखा जाए। इन कार्यक्रमों/आयोजनों की सी0सी0टी0वी0/वीडियो फुटेज का प्रतिदिन वरिष्ठ प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सूक्ष्मता से निरीक्षण कर मास्क न पहनने वाले, सार्वजनिक स्थलों में तम्बाकू, पान मसाला इत्यादि का उपयोग कर थूकने वालों की पहचान कर उनका चालान किया जाए तथा ऐसे क्षेत्रों की सूचना जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नियमित रूप से इसकी रोकथाम करने व सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु दी जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
22.10.20
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–2243(1)/पॉच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
23.10.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।